प्रपत्र–1 (देखें नियम–4 का उप नियम–1) उद्घोषणा का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः−....... थाना नं0ः−......... अंचलः⊤...... अंचलः अंचलः अंचलः अंचलः अंचलः अंचलः अंचलः अंचलः अंचलः

द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू—खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू—खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से मू—खण्डों की पैमाइश⁄जॉंच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलो, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाघाओं, जैसा भी आवश्यक हो, के सभी भू—धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग केरें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भू—खण्डों की सीमाओं को भू—खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

Help.

बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर